संख्या-230/2026/871के-2/22-3-2025-17(146)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामदेव पुत्र श्री रामपाल, निवासी जनपद-अयोध्या (फैजाबाद) की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-5889/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-02-2025, दिनांक 13.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामदेव (बंदी संख्या-46978) पुत्र श्री रामपाल, जो वृन्दावन एच0ओ0-लक्ष्मनपुर ग्रन्ट, थाना-बीकापुर, जनपद-अयोध्या (फैजाबाद) मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा, एच0ओ0-रामनगर, थाना-कूडेभार, जनपद-सुल्तानपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 16-09-2001 को जमीनी विवाद को लेकर अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के परिवार के आत्माराम उसकी पत्नी रामउरेही, वादी का पुत्र अमरपाल, जयपाल, वादी की पुत्री सुमन व वादी की पोती कुन्ता को गड़ासे व बांके से काटकर हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/02 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, षष्टम अपर सेशन्श न्यायाधीश, न्यायालय नं0-09, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22-08-2005 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 03-05-2023 तक 21 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 02 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बंदी की 48 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की आयु, स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने एवं बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (एक ही परिवार के 06 लोगों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामदेव (बंदी संख्या-46978) पुत्र श्री रामपाल, निवासी जनपद-अयोध्या (फैजाबाद) की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।